



PM-UDAY Charges

क. सरकारी भूमि पर निर्मित सम्पत्तियों के मामले में।

क्रम सं.	अनाधिकृत कॉलोनियों में सभी सम्पत्तियों के लिए निवासी का संचयी कारपेट एरिया (Cumulative Carpet Area) निम्नलिखित है:-	प्रभार
1.	100 वर्ग मीटर से कम	$\frac{1}{4} \times$ सर्किल रेट का 0.5% x कारपेट एरिया
2.	100 वर्ग मीटर से अधिक (अथवा बराबर) लेकिन 250 वर्गमीटर से कम	$\frac{1}{4} \times$ सर्किल रेट का 1% x कारपेट एरिया
3.	250 वर्गमीटर से अधिक अथवा इसके बराबर	$\frac{1}{4} \times$ सर्किल रेट का 2.5% x कारपेट एरिया

ऐसे निवासी जिनके पास एक से अधिक संपत्ति है, के लिए प्रभारों की दर सभी अनाधिकृत कॉलोनियों में निवासी की सभी संपत्ति के कारपेट एरिया को जोड़कर निर्धारित की जाएगी।

उदाहरण: सरकारी भूमि पर 100 वर्गमीटर से कम निर्मित कारपेट एरिया के लिए प्रभार:

अनाधिकृत कॉलोनी के लोकैलिटी/इलाके की श्रेणी	निर्मित एरिया पर (रूपये में) प्रति वर्ग मीटर
C	199.80
D	159.60
E	87.60
F	70.80
G	57.75
H	29.10

ख. निजी भूमि पर निर्मित सम्पत्तियों के लिए प्रभार, सरकारी भूमि पर निर्मित सम्पत्तियों के प्रभार का 50 प्रतिशत होगा।

ग. निजी भूमि पर खाली प्लॉटों के मामले में।

क्रम सं.	अनाधिकृत कॉलोनियों में सभी सम्पत्तियों के लिए निवासी का संचयी कारपेट एरिया (Cumulative Carpet Area) निम्नलिखित है:-	प्रभार
1.	100 वर्ग मीटर से कम	$\frac{1}{2} \times$ सर्किल रेट का 0.5% x कारपेट एरिया
2.	100 वर्ग मीटर से अधिक (अथवा बराबर) लेकिन 250 वर्गमीटर से कम	$\frac{1}{2} \times$ सर्किल रेट का 1% x कारपेट एरिया
3.	250 वर्गमीटर से अधिक अथवा इसके बराबर	$\frac{1}{2} \times$ सर्किल रेट का 2.5% x कारपेट एरिया

उदाहरण: 100 वर्गमीटर से कम निजी भूमि पर खाली प्लॉटों के लिए प्रभार:

अनाधिकृत कॉलोनी के लोकैलिटी/इलाके की श्रेणी	खाली प्लॉटों पर (रूपये में) प्रति वर्ग मीटर
C	399.60
D	319.20
E	175.20
F	141.60
G	115.50
H	58.20

टिप्पणी: 1. यह योजना खाली सरकारी भूमि प्लॉटों के लिए लागू नहीं है।

2. प्रभार इन विनियमों की अधिसूचना की जारी तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होंगे और उसके बाद एक वर्ष के पश्चात प्रभारों के देरी से किए गए भुगतान पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज वसूल किया जाएगा।